रजिस्ट्री सं० [illegible])-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 469] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1984/अग्रहायण 21, 1906

No. 469] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 12, 1984/AGRAHAYANA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1984

सा०का०नि० 813 (अ).—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न परिशिष्ट में यथा उल्लिखित पराद्वीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (संशोधन) विनियमन, 1984 का अनुमोदित करती है।

2. सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त विनियमन लागू होंगे।

परिशिष्ट

पराद्वीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियमन, 1984

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पराद्वीप पत्तन न्यासी बोर्ड एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इसका अनुमोदन करे, पराद्वीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1967 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

(1.) संक्षेप में शीर्ष और प्रारम्भ (1) ये विनियम पराद्वीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1984 कहलाएंगे।

(2.) पराद्वीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) विनियम, 1967 में विनियमन 11 के उप विनियम 4 (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे :—

"यदि अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोप के सभी मद या किसी एक मद में दी गई अपने निष्कर्ष को देखते हुए यह राय बना ली कि विनियम 8 के खण्ड (V) से (IX) में निर्दिष्ट दंड कर्मचारी को दिए जाने चाहिए तो वह ऐसा दंड देने के लिए एक आदेश देगा और कर्मचारी की जांच के दौरान साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित दंड पर अभ्यावेदन देने के लिए कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

लेकिन उस कर्मचारी के लिए जो मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के धारा 24 के उपधारा (1) खण्ड (क) में उल्लिखित पद को ग्रहण किया हुआ है, कोई भी आदेश, कार्यवाही के संबंध में बिना केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के जारी नहीं किया जाएगा।

आगे व्यवस्था की गई कि पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियमावली, 1984 के शुरू होने पर कोई अनुशासनिक कार्यवाई की गई हो या रुकी हो या अपील/पुनर्निरीक्षण किसी अनुशासनिक कार्यवाई के सम्बन्ध में दायर की गई हो जैसी स्थिति हो इन्हें इन संशोधित विनियम के अधीन लिया गया या रुका हुआ या दायर किया गया समझा जायेगा और इन संशोधित विनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाया जायेगा।

टिप्पणी—प्रमुख विनियम अर्थात्:—

(1) पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) विनियम, 1967, दिनांक 1 नवंबर, 1967 के भारत के राजपत्र में जी.एस.आर. सं. 1675 (ई) के रुप में प्रकाशित किए गए थे।

(2) प्रथम संशोधन विनियम अर्थात पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1975, दिनांक 1-2-75 के भारत के राजपत्र में जी०एस०आर० सं० 609 के रूप में प्रकाशित किए गए थे।

एम० वाई० राव, अध्यक्ष

[फा० सं० पी डब्ल्यू/पी ई आर-10/84]

पी० वी० राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1984

G.S.R. 813(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Employees (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Regulations, 1984 as set out in the Schedule annexed hereto.

2. The said regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

12.12.1984

SCHEDULE

PARADIP PORT EMPLOYEES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) (AMENDMENT) REGULATIONS, 1984

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Paradip hereby makes the following regulations to amend the Paradip Port Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1967, subject to the approval of the Central Government under sub-section (1) of section 124 of the said Act :—

(1) Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Paradip Port Employees (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Regulations, 1984.

(2) In the Paradip Port Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1967 in place of sub-regulations 4(i) & (ii) of regulation 11 the following shall be substituted :

"If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charges is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Regulation—8 should be imposed on the employee, it shall make an order imposing such penality and it shall not be necessary to give the employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed on the basis of the evidence adduced during the inquiry.

Provided that so far as the proceedings concern an employee holding a post referred to in clause (a) of sub-section (i) of section 24 of the Major Port Trust Act, 1963, no such orders shall be made except with the previous approval of the Central Government.

Provided further that where at the commencement of the Paradip Port Employees (Classification, Control & Appeal) (Amendment) Regulations, 1984 any disciplinary action had been taken or is pending or an appeal|review in respect of any disciplinary action has been preferred, the same shall be deemed to have been taken or pending or preferred, as the case may be under these amended regulations and shall be disposed of in accordance with the provision of these amended regulations."

NOTE : The Principal Regulations, namely,

(1) the Paradip Port Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations 1967 were published vide GSR No. 1675 in the Gazette of India dated the 1st November, 1967.

(2) The first amendment Regulations, namely, the Paradip Port Employees (Classification, Control & Apepal) (Amendment Regulations, 1975 were published vide GSR 609 in the Gazette of India, dated 1-2-1975.

M. Y. RAO, Chairman.

[F. No. PW|PER-10|84]

P. V. RAO, Jt. Secy.